



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
(अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्वयं भरे एवं भरने के पूर्व नियमों का ध्यानपूर्व अध्ययन कर लें)

प्रति,

कुलसचिव,
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य द्वारा
सत्यापित नवीन
छायाप्रति

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदित विषय में से निम्नलिखित प्रश्नपत्र की पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने अनुमति/पात्रता नियमानुसार प्रदान करें।

1. परीक्षार्थी का नाम	
2. पिता/पति का नाम	
3. घर का पता तथा टेलीफोन नं.	
4. परीक्षा का नाम	
5. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	
6. परीक्षार्थी का रोल नं.	
7. परीक्षार्थी का नामांकन नं./पंजीयन क्र.	
8. पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि	
9. छायाप्रति हेतु आवेदित प्रश्नपत्रों का नाम	1. 2.

10. निर्धारित शुल्क रु. (अक्षरी रूपये) विश्वविद्यालय के खाता

क्र. 147310034606 शाखा—देना बैंक, पदमनाभपुर, दुर्ग में जमा किया है। (प्रतिपर्ण की छायाप्रति संलग्न है।)

(1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय को मेरा आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(2) यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति का किसी भी प्रकार दुरुपयोग मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

संलग्न— (1) प्रवेश पत्र की छायाप्रति।
(2) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छायाप्रति।
(3) पहचान पत्र

दिनांक आवेदक/आवेदिक के हस्ताक्षर

पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु आवेदन—पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय से पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के छायाप्रति प्राप्ति हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन आवेदन करें।
2. परीक्षा परिणाम निर्गमन तिथि से एक माह की अवधि में छायाप्रति शुल्क रूपये **300/-** प्रति उत्तरपुस्तिका पर जमाकर छायाप्रति हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के खाता क्र. **147310034606** शाखा—देना बैंक, पदमनाभपुर, दुर्ग में जमा किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के पक्ष में देय होना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर भी यह नियम लागू होगा।
5. आवेदन पत्र सोच समझ कर सही—सही भरा जावे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी केवल अपनी ही पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु आवेदन कर सकता है।
6. पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र निःशुल्क है। परीक्षार्थी आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित/अधिकृत महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र की छायाप्रति अथवा टंकित प्रति भी मान्य होगी।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करेंगे—
 - (1) प्रवेश पत्र की छायाप्रति
 - (2) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छायाप्रति।
8. आवेदक का आवेदन पत्र प्राचार्य/केन्द्रध्यक्ष द्वारा अग्रेषित होना आवश्यक है। परीक्षार्थियों को छायाप्रति की सूचना/जानकारी संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। आवेदक को आवेदित पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राचार्य/केन्द्रध्यक्ष के माध्यम से स्वयं उपस्थित होने पर प्रदान की जायेगी। आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य को छायाप्रति नहीं दी जायेगी।
9. परीक्षार्थी अधिकतम दो प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्ति कर सकता है। दो प्रश्नपत्रों के लिए अलग—अलग दो आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में दो प्रश्नपत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
10. पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्रता नहीं होने के कारण जिन परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं उन्हें छायाप्रति प्राप्ति करने की पात्रता नहीं होगी।